

प्राचीन १७

(देखें नियम-13 उप नियम-(7))

अधिकार-अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर दावों / आखेपों की सुनवाई हेतु पक्षकारों को सूचना का प्रपत्र जाकर अभिलेख की धारा जानकारी दी जाती है कि दिनांक..... निवासी ग्राम..... अंचल..... जिला..... को इतत द्वारा जानकारी दी जाती है कि दिनांक..... को दायर दावों / आखेपों, जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है, से सम्बन्धित सुनवाई दिनांक..... पर नियत की गयी है।

आपका निरदय दिया जाता है कि अपने दावा / अकेप के समर्थन में साथ के साथ आप स्वयं अश्वा अपने प्राधिकृतों के द्वारा सुनवाई हेतु नियत तिशि, समय एवं स्थान पर उपस्थित हो अन्यथा वाद को, उपरबा

शिविर के प्रभारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर